

06/10/2021

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट ग्रामपंचायत मुख्यालय
विशानपुरा (प्रशासन गांवों के संग अभिमान)
में पेश हुई। प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या
3, 4, 5 व 6 के विरुद्ध पूर्व में ही एकतरफा
कार्रवाई की जा चुकी है। तहसीलदार सैधल
द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा
ख० नं० 478/11 रकबा 0.50 हे० में पत्थरगद्दी/
सीमाज्ञान चाहा गया था, जिसमें विवाद होने
के कारण दिनांक 08.06.2016 को सीमाज्ञान नहीं
फिदा गया। प्रकरण विवादित है। अतः प्रार्थी
द्वारा सीमाज्ञान/पत्थरगद्दी हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र
स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सैधल
Court



तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

रामकिशान vs सल्ला

51/2016

नंबर व तारीख
अह्काय जो हुक्म
हुक्म की तारीख
में जारी हुये

को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम
सींगपुरा स्थित भूमि आंख नं० 478/11 रकबा
0.50 हे० का पुलिस इमदाद के साथ सीमाज्ञान
करवाकर पत्थरगदी करवाई जाकर पालना
की जावे। फेंसला मजमे आम में सुनाया गया।

14/10
21

पुस्तक को आज प्रशासन विभाग के
द्वारा कोष कार्यालय में पेश कर प्राप्त
द्वारा पृथक से शिबिर में आवेदन
पत्र वास्तु में प्रशासन द्वारा पेश
किया। शिबिर प्रक्रिया के तहत पृथक
से प्रकरण निर्दिष्ट कर दिये जाने
से पुस्तक को दायित्व प्रणाली का प्रयोग

2